

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।
कार्यालय आदेश अन्तर्गत धारा-13(2) बी0एन0एस0एस0
आदेश संख्या- 16 दिनांक-08.07.2026

मैं रिंकी साहनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल बी0एन0एस0एस0 2023 की धारा-13(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल महोदय से विचार-विमर्श के उपरान्त एवं उनके निर्देश के तहत जिला टिहरी गढ़वाल में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के कार्य वितरण के सम्बन्ध में पूर्व में पारित किये गये आदेशों को संशोधित अतिक्रमित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दायित्व कार्य का वितरण निम्नवत रूप से करता हूँ -

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।

- (i) पुलिस थाना, नई टिहरी, चम्बा, घनसाली, कैम्पटी, थत्तूड़ व नवस्थापित थाना-छाम, यातायात के मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय सभी पुलिस रिपोर्ट, आवेदन (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अतिरिक्त) तथा परिवाद (धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981, The Payment and Settlement Systems Act, 2007 के तहत थाना घनसाली, थत्तूड़, कैम्पटी, छाम, यातायात के मामलों के अतिरिक्त) वारण्ट तथा समन मामले।
- (ii) राजस्व पुलिस क्षेत्र, तहसील नरेन्द्रनगर, गजा, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, प्रतापनगर के अतिरिक्त समस्त तहसील क्षेत्र के तहत मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों जो पुलिस रिपोर्ट और परिवाद पर संस्थित होते हों, वारण्ट व समन मामले।
- (iii) जिले के समस्त सिविल तथा राजस्व पुलिस थानों के क्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट तथा परिवाद पर संस्थित मामले जो अनन्यतः माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल द्वारा जांच व विचारणीय हों, जिनको माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल के समक्ष सुपुर्द किया जाना हो।
- (iv) जिले के समस्त क्षेत्र के तहत घटनास्थल, जिनके सम्बन्ध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, श्रम विभाग व वन विभाग (भारतीय वन अधिनियम, 1927 व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, इसी प्रकार के समस्त विशेष अधिनियम), खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दर्ज मामले जिनका परिवाद प्रस्तुत किया जाता है।

(v) जिले के समस्त सिविल तथा राजस्व पुलिस थानों के क्षेत्र के अन्तर्गत दर्ज मामले, जिनमें मानव तस्करी, देह व्यापार, विदेशी नागरिकों द्वारा विधियों का उल्लंघन किया गया हो।

(vi) जिले के समस्त सिविल तथा राजस्व पुलिस थानों के क्षेत्र के अन्तर्गत दर्ज मामले ऐसे आर्थिक अपराध व विशेष अधिनियम, के अधीन संस्थित मामले, जिनमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

(vii) थाना मुनिकीरेती, देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर, कीर्तिनगर, हिण्डोलाखाल तथा तहसील नरेन्द्रनगर, गजा, प्रतापनगर, कीर्तिनगर, देवप्रयाग के क्षेत्र के अन्तर्गत घटित आबकारी विभाग के मामलों को छोड़कर शेष समस्त थाना व तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत आबकारी विभाग से सम्बन्धित, परिवाद पर संस्थित मामले।

(viii) जनपद टिहरी गढ़वाल के अपराध निरोधक आबकारी क्षेत्र संख्या-1 टिहरी, मुख्यालय नई टिहरी के तहत तहसील टिहरी व धनोल्ती से सम्बन्धित आबकारी विभाग के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद टिहरी गढ़वाल के न्यायालय को रहेगा।

(ix) जिले के समस्त सिविल तथा राजस्व पुलिस थानों के क्षेत्र के अन्तर्गत घटित कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत संस्थित सन्दर्भ याचिका (जब तक सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 जिसे केन्द्रीय सरकार के द्वारा दिनांक-28 सितम्बर 2020 से प्रभावी किया गया है की धारा-48 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा कर्मचारी बीमा न्यायालय गठित नहीं कर दिया जाता है।)

न्यायालय सीनियर सिविल जज/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

ऐसे वारण्ट व समन मामले, जो पुलिस रिपोर्ट पर व परिवाद पर संस्थित हों, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द्वारा जांच व विचारण हेतु हवाले (Making Over) या निर्देशित (Refer) किये जायें।

न्यायालय अपर सीनियर सिविल जज/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल, नई

टिहरी।

(i) थाना नई टिहरी, चम्बा, घनसाली, छाम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले एवं तहसील जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल से सम्बन्धित राजस्व थाना गराकोट, खण्डोगी, नवाकोट, कोटी व

अंजनीसैण से सम्बन्धित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा थाना दानसाली व छाम के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1981, The Payment and Settlement Systems Act, 2007 के आवेदनों पर संस्थित मामले।

(ii) ऐसे वारण्ट व समन मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर व परिवार पर संस्थित हों, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द्वारा जांच व विचारण हेतु हवाले (Making Over) या निर्देशित (Refer) किये जायें।

न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

(i) थाना कैम्पटी व थत्यूड़ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा थाना थत्यूड़ व कैम्पटी के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1981, The Payment and Settlement Systems Act, 2007 सम्बन्धी परिवार पर संस्थित मामले।

(ii) ऐसे वारण्ट व समन मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर व परिवार पर संस्थित हों, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द्वारा जांच व विचारण हेतु हवाले (Making Over) या निर्देशित (Refer) किये जायें।

न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

(i) थाना मुनिकीरेती व नरेन्द्रनगर तथा राजस्व पुलिस क्षेत्र तहसील नरेन्द्रनगर व गजा क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय सभी आवेदन तथा परिवार एवं पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारण्ट एवं समन मामले (ऐसे मामलों व परिवार को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल को है)।

(ii) जनपद टिहरी गढ़वाल के अपराध निरोधक आबकारी क्षेत्र संख्या-2 नरेन्द्रनगर, मुख्यालय नरेन्द्रनगर के तहत तहसील नरेन्द्रनगर एवं उप तहसील गजा से सम्बन्धित आबकारी विभाग के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के न्यायालय को रहेगा।

(iii) ऐसे वारण्ट व समन मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर व परिवार पर संस्थित हों, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द्वारा जांच व विचारण हेतु हवाले (Making Over) या निर्देशित (Refer) किये जायें।

न्यायालय सिविल जज / न्यायिक मजिस्ट्रेट, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल।

- (i) थाना कीर्तिनगर, देवप्रयाग, हिण्डोलाखाल तथा राजस्व पुलिस क्षेत्र तहसील कीर्तिनगर व देवप्रयाग क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय सभी आवेदन तथा परिवाद एवं पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारण्ट एवं समन मामले (ऐसे मामलों व परिवाद को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल को है)।
- (ii) जनपद टिहरी गढ़वाल के अपराध निरोधक आबकारी क्षेत्र संख्या-3 कीर्तिनगर, मुख्यालय कीर्तिनगर के तहत तहसील कीर्तिनगर, देवप्रयाग, घनसाली तथा जाखणीधार से सम्बन्धित आबकारी विभाग के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल के न्यायालय को रहेगा।
- (iii) ऐसे वारण्ट व समन मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर व परिवाद पर संस्थित हों, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द्वारा जांच व विचारण हेतु हवाले (Making Over) या निर्देशित (Refer) किये जायें।

न्यायालय सिविल जज / न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल।

- (i) थाना लम्बगांव तथा राजस्व पुलिस क्षेत्र तहसील प्रतापनगर क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय सभी आवेदन तथा परिवाद एवं पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारण्ट एवं समन मामले (ऐसे मामलों व परिवाद को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल को है)।
- (ii) जनपद टिहरी गढ़वाल के अपराध निरोधक आबकारी क्षेत्र संख्या-1 टिहरी की तहसील प्रतापनगर से सम्बन्धित आबकारी विभाग के मामलों का क्षेत्राधिकार न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज, प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल के न्यायालय को रहेगा।
- (iii) ऐसे वारण्ट व समन मामले जो पुलिस रिपोर्ट पर व परिवाद पर संस्थित हों, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल द्वारा जांच व विचारण हेतु हवाले (Making Over) या निर्देशित (Refer) किये जायें।

इस आदेश का कोई प्रभाव वर्तमान में लंबित आपराधिक वादों पर नहीं होगा।

जनपद टिहरी गढ़वाल में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के कार्य वितरण/क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में पारित प्रकीर्ण आदेश उक्त सीमा तक संशोधित/अतिक्रमित समझे जायेंगे।

उपरोक्त कार्य व्यवस्था दिनांक-08.07.2026 से प्रभावी होगी।

—sd—
(रिंकी साहनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक— 16/2026, दिनांक—08.07.2026

प्रतिलिपि—

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही व अनुपालनार्थ प्रेषित—
 - (i) सीनियर सिविल जज/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।
 - (ii) अपर सीनियर सिविल जज/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।
 - (iii) सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।
 - (iv) सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल।
 - (v) सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल।
 - (vi) सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल।
 - (vii) वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
 - (viii) प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी, टिहरी, नरेन्द्र नगर, मसूरी (कैम्पटी व धनोल्टी क्षेत्र)
 - (ix) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
 - (x) जिला खाद्य सुरक्षा अभिहीत अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
 - (xi) जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
 - (xii) जिला श्रम अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
 - (xiii) जिला के समस्त राजस्व पुलिस क्षेत्रों के तहसीलदार।
 - (xiv) जिला के समस्त सिविल पुलिस के थाने के भारसाधक अधिकारी।
 - (xv) अध्यक्ष/सचिव जिला बार एसोसिएशन, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।
 - (xvi) जिला न्यायालय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए कम्प्यूटर अनुभाग में सिस्टम असिस्टेंट।
 - (xvii) गार्ड फाईल।

—sd—
(रिंकी साहनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टिहरी गढ़वाल।